न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी:- श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 पंचायत घर सरणू चिमनजी

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1.ठाकराराम पुत्र रामाराम 2. कोजाराम पुत्र रामाराम 3. मालाराम पुत्र रामाराम जातियान जाट निवासीयान पोटलियासर, सरणू तहसील एवं जिला बाड़मेर।		1.जोगाराम पुत्र सुखाराम 2. गोमाराम पुत्र हनुमानराम 3. पदमी पत्नी हनुमानराम 4. गेनाराम पुत्र सुखाराम 5. मेहराराम पुत्र मानाराम 6. नैनू देवी पत्नी मानाराम 7. प्रकाश पुत्र ईशराराम 8. लाधाराम पुत्र ईशराराम जातियान जाट 9. खेताराम पुत्र उमाराम जाति नाई 10. अमराराम पुत्र चिमाराम जातियान नाई निवासीयान ईन्द्रानगर तहसील व जिला बाड़मेर 11. रूगाराम पुत्र बिशनाराम 12.केशाराम पुत्र बिशनाराम 13. चम्पाराम पुत्र पदमाराम 14. राणाराम पुत्र पदमाराम 15. छगनलाल पुत्र पदमाराम 16. चूनाराम पुत्र हेराजराम 17. मंगलाराम पुत्र हेराजराम 18. वीरमाराम पुत्र हेराजराम जातियान नाई 19. कालूराम पुत्र भगवानराम 20. टीकूराम पुत्र भगवानराम जातियान जाट निवासीयान पोटलियासर, सरणू तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत्

राजस्व आवेदन संख्या-366/2019 **दिनांक-06.12.2021**

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा पोटलियासर पटवार हलका सरणू तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 172 रकबा 08.08 बीघा, खसरा नम्बर 437/117 रकबा 03.10 बीघा कुल रकबा 11.18 बीघा एंव मौजा इन्द्रा नगर, पटवार हलका सरणू भू.अ. नि. क्षेत्र चवा तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 457/248 रकबा 29.09 बीघा के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढ़ी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी (SDO)बाड़मेर

क्रमांक/रीडर/2021/6543-6546 दिनांक- 06/12/2021

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी सरणू चिमनजी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्रवाई पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी ठाकराराम पुत्र रामाराम जाति जाट निवासी-पोटलियासर, सरणू तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी जोगाराम पुत्र सुखाराम जाति जाट/नाई निवासी ईन्द्रा नगर, सरणू तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी (SDO)बाड़मेर